दिल्ली विकास प्राधिकरण

राज निवास, दिल्ली में दिनांक 17 सितंबर, 2019 अपराह्न 3.00 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

इस बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः-

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री तरुन कपूर

सदस्य

1. श्री के. विनायक राव,
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेन्द्र शर्मा,
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष ।
4. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
5. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
6. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
7. श्री मनीष अग्रवाल,
   निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

Scanned with CamScanner

विशेष रूप से आमंत्रित

1. डॉ राजेश कुमार
   प्रधान आयुक्त (आवास, पी एम ए वाई, सी.डब्ल्यू.जी. एवं खेल)
2. श्री मनीष कुमार गुप्ता
   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन, प्रणाली एवं समन्वय), दि.वि.प्रा.
3. श्री श्रीपाल
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भू-दृश्य), दि.वि.प्रा.
4. श्रीमती वर्षा जोशी
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
5. डॉ दिलराज कौर
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
6. श्री ज्ञानेश भारती
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्रीमती चंचल यादव
   उपराज्यपाल के विशेष सचिव
2. श्रीमती रुचिका कत्याल
   उपराज्यपाल के संयुक्त सचिव
3. श्री अनूप ठाकुर
   उपराज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष अतिथियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 79/2019

13.08.2019 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि।

एफ.2(2)2019/एमसी/डीडीए

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद को आस्थगित किया गया।

मद सं. 80/2019

राष्ट्रमंडल खेल गांव के फ्लैटों का निपटान - सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमों, केन्द्र और राज्य सरकारों के निगमों को आबंटन के लिए निपटान की दरों में रियायत।
एफ.1(272)2013/एनएंडसी(एच)

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 81/2019

5 वर्ष की अवधि के लिए हस्तांतरण विलेख के निष्पादन हेतु रोक को हटाना और आर.डब्ल्यू.ए. का सदस्य बनने के एक लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कब्जा देना और शिवाजी मार्ग में ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटो के आबंटितियों के लिए आर.डब्ल्यू.ए. के विनियमों का पालन करना।
एफ.2(07)2017/ई.डब्ल्यू.एस./पार्ट

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 82/2019

सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक श्रेणी के सांस्थानिक प्लॉटों के आबंटन के संबंध में नजूल नियम-1981 (नियम-4) में संशोधन के संबंध में।
एफ.7ए(रिलिजियस-पॉलिसी)15/आईएल

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि वह जिला जिसमें प्लॉट स्थित है, में कार्यरत संगठन बोली में भाग लेने के लिए पात्र होगा। यदि दो ऐसे संगठन बोली में भाग लेने के लिए रजिस्टर नहीं करते हैं, तो समीपवर्ती जिलों की संगठनों को भाग लेने की अनुमति होगी। यहि दुबारा बोली में भाग लेने के लिए ऐसे दो संगठन रजिस्टर नहीं करते हैं, तो सभी अन्य संगठनों को अनुमति दी जाए। नजूल नियम-1981 (नियम 4) में संशोधन के लिए मामला आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

Scanned with CamScanner

मद सं. 83/2019

व्यावसायिक सम्पत्तियों के लिए समामेलन प्रभारों का निर्धारण ।
एफ.5(09)2019/एओ(पी)डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को डीडी एक्ट, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया जाए।

मद सं. 84/2019

डीडीए आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील अधिनियम, 1999 के विनियम 33 के अंतर्गत श्री बी.एम.तिवारी, उप मुख्य लेखा अधिकारी (चिकित्सा) और श्री एस.एन. तिवारी, लेखा अधिकारी (सेवानिवृत्त) द्वारा दायर की गई याचिका की समीक्षा।
एफ-27(09)07/ई.ई. (विज.) -VII/पार्ट-V

श्री बी.एम.तिवारी, उपमुख्य लेखा अधिकारी (चिकित्सा) और श्री एस.एन.तिवारी, लेखा अधिकारी (सेवानिवृत्त) दोनों ने रिवीजनरी अथॉरिटी अर्थात् उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा पारित दिनांक 23.01.2019 के आदेशों के विरूद्ध दि.वि.प्रा. आचरण, अनुशासनात्मक और अपील विनियम, 1999 के विनियम 33 के अंतर्गत समीक्षा याचिका दायर की है। कथित समीक्षा याचिका पर बैठक के दौरान विस्तार पूर्वक चर्चा और विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण ने पाया कि श्री बी.एम.तिवारी, उपमुख्य लेखा अधिकारी (चिकित्सा) और एस.एन.तिवारी, लेखा अधिकारी (सेवानिवृत्त) दोनों अपनी समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसी नई सामग्री अथवा साक्ष्य नहीं लाए हैं, जिसे आदेश पारित करते समय उपलब्ध कराया जा सकता हो अथवा उपलब्ध थे जिसके प्रभाव से मामले की प्रकृति बदल सके।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री बी.एम.तिवारी, उपमुख्य लेखा अधिकारी (चिकित्सा) और श्री एस.एन. तिवारी, लेखा अधिकारी (सेवानिवृत्त) द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका कार्रवाई जारी रखने योग्य नहीं पाई गई और इसके कारण रिवीजनरी अथॉरिटी द्वारा लगाए गए दण्ड (पैनल्टी) में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तदनुसार, दि.वि.प्रा.

Scanned with CamScanner

आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील विनियम, 1999 के विनियम 33 के अतंर्गत प्राधिकरण के समक्ष उनकी समीक्षा याचिका का निपटान हुआ माना जाए।

<u>मद सं. 85/2019</u>

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत, क्षतिपूर्ति दाता संपत्तियों के रहने वालों से क्षति के संग्रह के लिए नीति।
एफ.टीएन 2(09)2017

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, स्व-मूल्यांकन योजना को सफल बनाने के लिए, डीडीए प्रस्तावित स्व-मूल्यांकन योजना की विंडो संचालन अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति संपत्ति अधिभोगियों को नोटिस जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, आंकड़े / जानकारी के संग्रह के बाद, क्षतिपूर्ति संपत्तियों के स्वामित्व के लिए व्यापक योजना को प्राधिकरण के समक्ष लाया जाएगा।

<u>मद संख्या.86/2019</u>

डीडीए की अधिशेष निधियों के निवेश के लिए निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचीबद्ध करना।
एफ.6(36)2003/अकाउंटस(एम)/डीडीए/पार्ट-I

प्राधिकरण ने भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार उपाध्यक्ष , दि.वि.प्रा. निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पैनल बनाने की शक्ति प्रदान की है। यदि भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों को हटाने की आवश्यकता है, तो मामला प्राधिकरण के समक्ष लाया जाएगा।

<u>मद संख्या.87/2019</u>

नरेला में संस्थागत हब बनाने और एफए -20 में संस्थागत भूमि (पीएसपी) के साथ स्वैप करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालय के लिए भूमि प्रदान करने के लिए पीएसपी के व्यावसायिक उपयोग के तहत जिला केंद्र के लिए 36.6 हेक्टेयर निर्धारित भूमि के भूमि उपयोग परिवर्तन।
एफ.9 (01)/2012-एमपी

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत आपत्तियाँ/सुझावों को आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

मद संख्या.88/2019

योजना जोन-जी में आने वाले कोर्ट केस 'रामलीला कमेटी, जनकपुरी (पंजी) और ए.एन.आर. बनाम रिशु कांत शर्मा एवं अन्य शीर्षक न्यायालय मामले में अवमानना याचिका सं 229/2019 के संबंध में प्राधिकरण से विशेष अनुमति के लिए दिमुयो-2021 के उप-खण्ड 8(2) के अंतर्गत ब्लॉक-बी, जनकपुर 2.62 हेक्टेयर क्षेत्र के उपयोग जोन/परिसर के उपयोग का 'मनोरंजनात्मक (पी2 जिला पार्क)' से मनोरंजनात्मक (बहुउद्देशीय ग्राउंड)' में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव ।

एफ.3(12)/2016-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मद संख्या.89/2019

मुख्य योजना में उप नगर स्तर पर धार्मिक श्रेणी के अंतर्गत अनुमेय विकास नियंत्रण मानदंडों और गतिविधियों में संशोधन।

एफ.15(01)2018-एमपी

एजेंडा मद में निहित सिफारिश को मंजूरी दी गई थी। डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के तहत आपत्तियाँ / सुझावों को आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

मद संख्या.90/2019

दिल्ली में पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) के लिए नीति- एमपीडी -2021 में संशोधन के रूप में।

एफ.20(7)/2015/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए मामले को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा।

Scanned with CamScanner

मद संख्या.91/2019

दिल्ली में पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) के लिए मसौदा विनियम।
एफ.20(7)2015/एमपी/पार्ट-I

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस मामले को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

मद संख्या.92/2019

दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।
एफ.20(9)/2014/एमपी

विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि एजेंडा मद के पैरा 5.0 (ii) में शामिल सिफारिशों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है। पैरा 5.0 (i) और (ii) में निहित सिफारिश को मंजूरी दी गई थी। पैरा 5.0 (i) में निहित सिफारिश से संबंधित मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा।

मद संख्या.93/2019

दिव्यांग व्यक्तियों को आवंटित फ्लैटों के संबंध में लॉक-इन अवधि में छूट, छूट की सीमा बढ़ाने और ब्याज की दर को कम करना ।
एफ.25(पीएचपी)/एलआईजी/2019

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मद संख्या.94/2019

राम गढ़ कॉलोनी, जहांगीरपुरी में एक बेड रूम फ्लैट्स की लागत का युक्तिकरण।

Scanned with CamScanner

एफ-25/रेशनलाइजेशन/एल.आई.जी./2019/08

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मद संख्या 95/2019

शैक्षिक श्रेणी के भूखंडों के तहत अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधियों / उपयोग परिसर की अनुप्रयोज्यता के लिए नीति में आंशिक संशोधन।

एफ.12(55)92/आईएल/पार्ट

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ मंजूरी दी गई कि जुर्माना और अनुमेय शुल्क पर छूट को 90% के रूप में संशोधित किया जाए।

मद संख्या 96/2019

आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों के लिए एनओसी देने हेतु प्राधिकरण सदस्य श्री सोमनाथ भारती का अनुरोध।

एफ.22ए (01)/17/आईएल

इस मामले पर चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थय सेवाओं के लिए प्लॉटों के आबंटन हेतु रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अनुरोध की जाँच दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 और दिल्ली मुख्य योजना-2021 के मानदंडों के अनुसार की जाए।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य बिंदु'

श्री ओ पी शर्मा

i) डीडीए को रामलीलाओं के आयोजन के लिए स्कूलों को आवंटित परिसर के अनधिकृत उपयोग को रोकना चाहिए। आबंटन की निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। स्कूलों के परिसर के बाहर कारों की पार्किंग को वर्जित किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

श्री सोमनाथ भक्ति

i) बेगमपुर में डीएमआरसी को अस्थायी रूप से आवंटित भूमि को डीडीए द्वारा वापस ले लिया जाए।

श्री मनीष अग्रवाल

i) डीडीए पार्कों जिनका उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, की एक सूची को संकलित किया जाए और इन स्थलों को उत्सव मैदान के रूप में निर्दिष्ट किया जाए।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

Scanned with CamScanner